Child Labor Policy बाल श्रम नीति

मिरी एक्सपोर्टस, जयपुर में बालश्रम पूर्णतया निषेध है। किसी भी प्रकार से 15 वर्ष से कम उम्र के बालक को कम्पनी में काम पर नही रखा जायेगा।

यदि कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा दूसरी फैक्ट्री में कार्य कर इस फैक्ट्री में आता है तो उसे कार्य करने नहीं दिया जावेगा। तथा उसके पढने की व्यवस्था के लिये किसी सामाजिक संस्था को बुलाया जावेगा ताकि वे उचित व्यवस्था कर सके। उस बच्चे के परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को रोजगार पर रखने की व्यवस्था की जायेगी ताकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकें।

कम्पनी नें यह नीति अपनाई है कि कामगारों की भर्ती करने से पहले उनकी आयु की भली भांति जॉच कराई जाये।

यदि फिर भी किसी विशेष कारणवश कभी आवश्यकता पड़ जावे तो निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावेगाः—

1. डॉक्टर द्वारा प्रमाण पत्र लेवे कि बाल श्रमिक शारीरिक रूप से कार्य करने हेतु फिट ळें
2. कोई भी 18 साल से कम तथा 14 वर्ष से अधिक उम्र का कर्मचारी एक दिन में 4.30 (साढ़े चार घण्टे) से ज्यादा कार्य नहीं करेगा।
3. बाल श्रमिक के कार्य घण्टे फैक्ट्री गेट व नोटिस बोर्ड पर लगाये जावेगें।
4. कार्य स्थल पर बाल श्रमिक का हाजरी रजिस्टर रखा जावेगा जिसमें निम्न सूचनायें होनी चाहियेः—
   a) नाम, पिता का नाम, उम्र, पगार, किस कार्य पर लगाया गया है, किस ग्रुप में लगाया गया है, कार्य के घण्टे व किस शिफ्ट में है।
   b) बाल श्रमिक को 4.30 घंटे के कार्य करने की वही पगार मिलगी जो 18 साल से बड़े को उसी केटेगरी के कार्य करने वाले को दी जाती है।
   c) बाल श्रमिक को कार्यानुरूप यूनिफार्म मिलेगी।
   d) कम्पनी बाल श्रमिक की शिफ्ट इस तरह से लगावेगी कि उसकी पढ़ाई में कोई हर्जा नहीं हो।
5. किसी भी तरह समस्या आने पर अपने सुपरवाईजर, इन्चार्ज व मैनेजर को बताया जावेगा एवं कम्पनी द्वारा अलग से (Grievance Cell) बनाई गयी है। उसमें भी अपनी परेशानी बता सकते है।
6. यदि किसी युवा श्रमिक को रखा जाता है तो उसे फैक्ट्री एक्ट मे वर्णित जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जावेगा।
7.

Anti -Discrimination Policy भेदभाव विरोधी नीति

मिरी एक्सपोर्टस, जयपुर में हम हर प्रकार के भेदभाव एवं उत्पीडन को प्रतिबन्धित करते है। सभी कामगार कम्पनी में मानव–संसाधन है और कम्पनी का एक अमूल्य साधन है, इस विचार को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने ये नीति अपनाई है यह भेदभाव एंव उत्पीडन किसी भी रूप में नही किया जायेगा जैसे कि भर्ती करते समय, वेतन या भत्ते देते समय, लाभ प्रदान करने में, आधुनिकीकरण में, अनुशासन में, रोजगार देने में, वेतन वृद्धि देने में, तरक्की देने में, कार्य मुक्त करने में या सेवा मुक्त करने में हम रंग, नस्ल, आयु, लिंग, भाषा, जन्म स्थान से, धर्म, जाति, शारीरिक अक्षमता, वैवाहिक स्थिति, लैगिक अनुपात, अपंगता, रंगभेद, अस्पृश्यता, व्यक्तिगत पसन्द या ना पसन्द के आधार पर, किसी स्थान से ताल्लुक लेने वाले, राजनीतिक विचारधारा एवं सामाजिक स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

निपूणता, सक्षमता, तथा कार्यगुण के आधार पर ही कामगारों की नियुक्ति की जायेगी, तरक्की दी जायेगी, सुविधाएं दी जायेगी एवं विकास के लिए अवसर दिये जायेगें।

कम्पनी में किसी भी प्रकार के भेद–भाव करने वाले पर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Anti -Harassment Policy यौन शोषण विरोधी नीति

मिरी एक्सपोर्टस, जयपुर में हम हर प्रकार के उत्पीडन को प्रतिबन्धित करते है। हम इस नीति का पालन निम्नलिखित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये करेंगें।

1. भारतीय संस्कृति तथा संस्कार में स्त्री को देवी का रूप बताया गया है। तदानुसार उनकी पवित्रता एवं आत्मसम्मान की रक्षा करना समाज का प्रथम कर्तव्य है। उक्त दार्शनिक विश्वास तथा मूल्य को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने यह नीति अपनाई है कि स्त्री श्रमिक को पुरूष श्रमिक की तरह बराबर/ समान वेतन, व्यवहार, उन्नति के अवसर, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदान करेंगें और इसे हर तरह की चेष्टाओं से बढ़ावा देंगें।
2. किसी भी स्त्री श्रमिक को यौन सम्बन्धित दुर्व्यवहार यथा शब्दों द्वारा, शारीरिक अभिव्यक्ति द्वारा, अश्लील इशारो द्वारा एवं तांक झांक न किया जाए इसकी पूरी व्यवस्था करना तथा उनके आत्म सम्मान को बचाकर रखना कम्पनी का प्राथमिक कर्तव्य है।
3. कम्पनी परिसर में कार्यरत स्त्रीयों के अधिकारों की रक्षा करना भी कम्पनी का लक्ष्य होगा।

4. महिलाओं की समस्याओं और यौन उत्पीडन से सम्बन्धित समस्याओं के लिये यौन उत्पीडन विरोधी टीम का चयन किया जायेगा। जिसे आन्तरिक शिकायत कमेटी के नाम से जाना जाता है।
5. एक स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद एवं सुरक्षित वातावरण सभी कर्मकारों को विशेषकर स्त्री कर्मकारों को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. स्त्री कर्मकारों की शिकायतों/समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा जायेगा।
7. स्त्री एंव पुरूष दोनों के लिए शौचालयों की अलग व्यवस्था की जायेगी। उन्हें अच्छी तरह से अंकित एवं दर्शाया जायेगा एवं स्त्रीं की गरिमा को बनाये रखा जायेगा।

Working Hours & Overtime Policy — कार्य घण्टे एवं ओवरटाइम नीति

मिरी एक्सपोर्टस, जयपुर में ओवर टाईम कार्य किसी भी हालत में व बिना प्रबन्धन की स्वीकृति के नहीं होगा। ओवर टाईम की स्वीकृति लेने से पहले कार्य कितना बकाया है, कितने घंटे चलेगा एवं किन–किन श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी उसका पूर्ण विवरण देना पड़ेगा।

यदि किसी कारण से ओवर टाईम कार्य कराया जाता है तो वह 2 घंटे से अधिक नहीं होगा एवं 3 माह में कोई भी श्रमिक 50 घंटे से ज्यादा ओवर टाईम नहीं करेगा। ओवर टाईम कार्य कर्मचारी की स्वैच्छा पर निर्भर करेगा। कम्पनी प्रबन्धन उसे कार्य करने के लिये बाध्य नही करेगा।

कर्मचारी को ओवर टाईम कार्य करने का भुगतान साधारण रेट से दुगुना मिलेगा।

यदि कोई श्रमिक साप्ताहिक अवकाश या अन्य अवकाश पर कार्य करता है तो उसे उस दिन का डबल भुगतान एवं अवकाश की जगह पूरी पगार के साथ एक अवकाश (Compensatory Rest) मिलेगा।

यदि किसी को इसकी कोई शिकायत हो तो वह फैक्ट्री इन्सपेक्टर, झालाना डूंगरी, जयपुर या लेबर इन्सपेक्टर, एन.बी.सी. सोडाला के पास कर सकता है या अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है।

मिरी एक्सपोर्टस में कार्य घन्टे निम्न प्रकार रहेगें:–

सुबह **9.30** बजे से सायंकाल **6.30** बजे तक । जिसमें कुल एक घण्टा विश्राम दिया जायेगा।

Freedom of Association **एसोसियेशन स्वतन्त्रता नीति**

FREEDOM OF ASSOCIATION & RIGHT TO COLLECTIVE BARGANING

(REF. ILO CONVENTION 1948, NO. 87 & 1981, NO.154)

We at Miree Exports shall not prevent the workers from their right to establish & join workers committee in the organization of their choice to have access to collectively bargain and to redress any grievances.

संगठन चुनने हेतु सहमति

हम किसी भी कर्मचारी को किसी भी संस्था या संगठन को चुनने,अपनाने या छोडने के लिये बाध्य नहीं करते हैं।

हम उन्हे श्रमिक प्रतिनिधि चुनने से नही रोकेंगे। श्रमिक प्रतिनिधि आपकी शिकायतो एवं सुझावो को प्रबन्धन के सम्मुख रखते रहेंगें।

कम्पनी प्रबन्धन वर्ग सामूहिक सौदेबाजी की नीति से पूर्णतः सहमत है।

Forced Labor Policy **बन्धुआ मजदूर नीति**

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

For the purposes of this Convention the term *forced or compulsory labour* shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.

बंधुआ मजदूरी निषेध नीति

मिरी एक्सपोर्टस, जयपुर का **प्रबन्धन** ऐसे किसी भी प्रकार के नियोजन नहीं करता है जो बलपूर्वक, अस्वेच्छा या बंधुआ मजदूर की श्रेणी में आते है।
हम कैदी श्रमिकों को अपने संस्थान मे नही रखते है।
हम कर्मचारी के असली दस्तावेज नही लेते है केवल उन दस्तावेजो की कॉपी लेते है।

Female Worker Policy   महिला कर्मचारी नीति

भारतीय संस्कृति तथा संस्कार में स्त्रीयों को देवी का रूप दिया गया है। तदानुसार उनकी पवित्रता एवं आत्मसम्मान की रक्षा करना समाज का प्रथम कर्तव्य है। उक्त दार्शनिक विश्वास तथा मूल्य को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने यह नीति अपनाई है कि स्त्री श्रमिक को पुरूष श्रमिक की तरह बराबर/ समान वेतन, व्यवहार, उन्नति अवसर, स्वस्थ एवं सुरक्षा प्रदान करें और इसे हर तरह के चेष्टाओं से बढ़ावा दें। स्त्री श्रमिक को किसी भी यौन सम्बन्धि दूर्व्यवहार शब्दों द्वारा, शारीरिक अभिव्यक्ति द्वारा ऑच न आए इसकी पूरी व्यवस्था करना तथा उनकी आत्म सम्मान को बचाकर रखना कम्पनी का प्रथम तथा प्राथमिक कर्तव्य है। फैक्ट्री परिसर में कार्यरत स्त्रीयों के अधिकारों की रक्षा करना भी कम्पनी का लक्ष्य होगा।

Maternity Benefit Policy   मातृत्व लाभ एवं गर्भावस्था जांच नीति

मिरी एक्सपोर्टस, जयपुर में तमाम स्त्री स्टॉफ एवं स्त्री श्रमिको को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान में किसी भी गर्भावस्था महिला कर्मचारी को नौकरी से अलग नहीं किया जावेगा। कर्मचारी को कानून व विभिन्न धाराओं/ नियमों के अन्तर्गत गर्भावस्था दौरान पूर्ण लाभ व अवकाश दिया जावेगा। कोई भारी काम नहीं कराया जावेगा या जब परेशानी हो तो अपनी हालत अपने सहयोगी को बताकर आवश्यक सहायता ले सकती है। चूंकि हर कर्मचारी ई.एस. आई. (एम्पलाईज स्टेट इन्श्योरेन्स) से कवर है। अतः वे तमाम लाभ जो कानून के दायरे में आते हैं, ई.एस.आई. से ले सकते हैं। हर स्त्री कामगार को यह सूचित किया जाता है कि नौकरी के पहले व बाद में गर्भावस्था का किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं कराया जाता है तथा यह कानून के विपरीत है।

Grievance Policy शिकायत निवारण नीति

समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिये गये सुझाव या शिकायतो पर प्रबन्धन द्वारा तुरन्त ध्यान दिया जायेगा।

आप अपने सुझाव या शिकायत बिना किसी भय या दबाव के सुझाव पेटी मे डाल सकते है, यह पेटी प्रत्येक सोमवार को खोली जायेगी तथा इसमें प्राप्त होने वाले सुझाव या शिकायत का निपटारा शिकायत निवारण प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

आपके द्वारा दिये गये सुझाव या शिकायत को गोपनीय रखा जायेगा।

सुझाव/शिकायत निराकरण योजना

परिचय :–

सुझाव बॉक्स योजना का उद्धेश्य निम्न स्तर के कर्मचारियों को उनके बेहतर विचारों और सुझावों के लिये अवशर देना जो कि व्यवसाय कि निरन्तरता व आर्थिक वृद्धी करें तथा जिनके बारे में विचार किया जा सकें।

उद्धेश्य :–

1. सभी गैर – अधिकरियों को वरिष्ठ अधिकरी स्तर के ठेकेदार के कर्मचारियों के बीच रचनात्मक और सकारात्मक, रवैया योग्यता का विकास करना।
2. संस्कृति को बढ़ाने और निरन्तर सुधार लाने और कर्मचारियों के बीच अपनेपन की भावना उत्पन्न करना।
3. छोटे नुकसान को खत्म करने, सर्वोतम प्रथाओं को लागू करने और कर्मचारी की भागीदारी के माध्यम से औधोगिक संबंधों में सुधार करना।
4. एक विचार को लागू करने में कर्मचारियों की अधिक से अधिक भागीदारी के माध्यम से औधोगिक संबंधों में सुधार करना।
5. स्मूह के सिद्धान्तों का सम्मान करें और इसकी छवि को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए और हमारे व्यापार में सतत् विकास में मिलजुल कर उद्योंग का नेतृत्व करें

सुझावों का कब स्वीकार किया जायेगा ?

1. व्यक्ति केवल उन्ही सुझावों के बारे में अपने विचार रख सकता है जो कि कारखाना क्षेत्र के अन्तर्गत आते है केवल वही व्यक्ति सुझाव दे सकता जो कि उस कारखाने में कार्य कर रहा हो।
2. कार्य के वातावरण में सुधार करना तथा दुर्धटनाओं की संभावनाओं को कम करना।
3. उत्पादन में वृद्धि, उच्च उत्पादकता, लागत में कमी करके उनके डिजाइन सुधार करना।

4. ऐसे तरीकों का विकास करना जिससे कि मशीन, टूल, उपकरणों आदि को एक सही तरीके से रख रखाव कर सकें।
5. माल के बेकार और बिखराव में कमी करना।
6. कुछ ऐसे सुझाव देना जिससे कि मशीनों व उपकरणों के रख रखाव में सुधार हो।
7. प्रोड्क्सन में माल कि उपयोगिता, गुणवता और उत्पादकता में वृद्धी करना।
8. सामग्री, ऊर्जा या प्रक्रियाओं में समय या बेहतर उद्धेश्य के लिए उनके उपयोग का संरक्षण करना।
9. कार्य सुझाव है, जो कंपनी के लिए फायदेमंद हैं।
10. सुझाव ऐसा होना चाहिए जिससे से कार्य करने कि गति बढे और नुकसानों में कमी हो।
11. कोई सुझाव है, जो कंपनी के लिए फायदेमंद है।

<u>क्या एक सुझाव नहीं है :–</u>

1. सभी सरकारी नीतियाँ और कार्य प्रणाली जो कि प्रबंध के नियंत्रण से बाहर है।
2. ऐसे सुझाव व शिकायते जो कि अतिरिक्त लाभ और सुविधाओं

Discipline Policy अनुशासन नीति

1. कम्पनी के अन्दर धुम्रपान (गुटखा ,जर्दा,पान, पुडिया, तम्बाकू, सिगरेट, बीडी,) तथा अन्य मादक पदार्थो का सेवन करना सख्त मना है।
2. शराब अथवा किसी नशीले पर्दाथ का सेवन करके कम्पनी मे आने अथवा कम्पनी मे करते हुंए पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।
3. यदि कोई व्यक्ति बिना पर्ची दिये बाहर जाता है। तो उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।
4. किसी भी व्यक्ति को बिना कार्ड प्रवेश नही दिया जायेगा।
5. बाहर से आने वाले व्यक्ति को बिना आज्ञा अन्दर ना भेजे।
6. बाहर से आने वाले व्यक्तियो का बिना आज्ञा कार्य स्थल पर जाना सख्त मना है।
7. जो कर्मचारी कम्पनी के नियमो का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कि जायेगी।